

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या:- 312/VIII/19-228(श्रम)/2001-पार्ट-II

देहरादून, दिनांक: 08 मार्च, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा(1) का खण्ड (i) के सपटित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या संख्या 346/VIII/13-228(श्रम)/2001, दिनांक 06 मार्च, 2013 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से परिशिष्ट 1 में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपयों में)
(1)	(2)	(3)
1	अकुशल	8300
2	अर्द्धकुशल	8646
3	कुशल	8992
4	अतिकुशल	9574
5	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	9574
	(क) श्रेणी-एक	
	(ख) श्रेणी-दो	9141

टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

- 1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 301 अंक पर होंगी।
- 2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- 3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।
- 4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।
- 5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनु रूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।
- 6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी

प्रवर्तित

14/3/19

333

से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।

7- जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट-1

क्र०सं०	नियोजनों के नाम
(1)	(2)
1	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पादन (जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब भी हैं) के उद्योग में नियोजन।
2	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग में नियोजन।
3	मिष्ठान्न उद्योग में नियोजन।
4	वासित पेयों (एस्टेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन।
5	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन
6	परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योगों में नियोजन।
7	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन।
8	डेरी और मिल्क डेरीज में नियोजन।
9	सिले सिलाए कपड़ों की विनिर्माणशाला में नियोजन।
10	बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन।
11	प्राइवेट क्लीनिक और चिकित्सा सामान की प्राइवेट दुकानों में नियोजन।
12	फाउण्ड्री उद्योग में नियोजन।
13	धातु उद्योग में नियोजन।
14	टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग उद्योग में नियोजन।
15	ऐसे अभियंत्रण उद्योग में नियोजन, जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
16	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-2

1. अकुशल:-

चपरासी, चौकीदार, पैकर, स्वीपर, मजदूर, अर्दली, लोडर, अनलोडर, हेल्पर, वाटरमैन, पल्लेदार, चारावाला, दाई, आया, वार्डब्याय और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल:-

मिक्सरमैन, मोल्डर, सहायक मशीन आपरेटर, कटर, जुड़ाई वाला, तौलकार, सहायक कारीगर (मिठाई), सीलर, लेबिलर, बाटलर, जूस फिलर, फायर मैन, सहायक मशीन मैन, सहायक लोहार, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक फिटर, सहायक पर्यवेक्षक, सहायक निरीक्षक, असिस्टेन्ट डोर असेम्बलर एण्ड फिनिशर्स, डिलीवरी मैन, पम्प अटेन्डेण्ट, फार्ममैन, पेस्टर, मिल्कमैन, मिल्क डिलीवरी मैन, प्रेसमैन, बटन लगाने वाला, काज बनाने वाला, तुरपाई वाला, बेलदार, मेट, ट्रेसर, माली, इन्जन ड्राइवर, सहायक आपरेटर, जुगाडिया, सहायक मैकेनिक, मोल्डर, चिरैया, सहायक कम्पाउण्डर, पट्टी बांधने वाला, प्लास्टर मैन और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

3. कुशल:-

आपरेटर, सुपरवाइजर, ड्राइवर, मिस्त्री, कारीगर, मशीनमैन, फिलर, मिक्सर, चैक फिटर, प्रेस आपरेटर, टर्नर, ब्यालर अटेन्डेन्ट, सहायक क्वालिटी इन्सपेक्टर, इलेक्ट्रीशियन, सहायक फोरमैन, कटर डिजाइनर, दर्जी, जनरेटर आपरेटर, लोहार, बढई, इन्सपेक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स, लैब टैक्नीशियन, एक्सरे टैक्नीशियन, विनियर मैचर, वेल्डर, डोर असेम्बलर एण्ड फिनिशर्स और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

4. अतिकुशल:- सीनियर/हैड सुपरवाइजर, हेड इंचार्ज, कैमिस्ट, फोरमैन, क्वालिटी इन्सपेक्टर, डेरी इंचार्ज, हेड डिजाइनर, फार्मसिस्ट और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

5. लिपिक वर्गीय कर्मचारी:-

(क) लिपिक श्रेणी-दो- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करते पाँच वर्ष न हुए हो।

क्लर्क, टाईपिस्ट, मुनीम, तगादगीर, विक्रयकर्ता, स्टोर कीपर, लेखाकार, कैशियर, आशुलिपिक, लेखालिपिक, क्रयकर्ता, सहायक टेलीफोन आपरेटर, बिल कटर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) लिपिक श्रेणी-एक- न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करने का पाँच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो।

हेड एकाउण्टेण्ट, हेड मुनीम, हेड क्लर्क, हेड कैशियर, विक्री प्रतिनिधि, प्रधान विक्रयकर्ता, टेलीफोन आपरेटर, प्रधान क्रयकर्ता और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

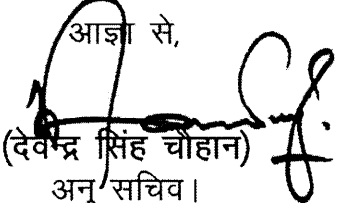
(हरबंस सिंह चुघ)

सचिव।

संख्या:- 312 (1)/VIII/19-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेंद्र सिंह चौहान)
अनु सचिव।